आयुष्मान भारत "निरामयम्", मध्य प्रदेश

दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्

आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक./सी.ई.ओ./ए.बी./2019/ 12 **भोपाल, दिनांक** 10 **/01/2019**

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
समस्त अधीक्षक सिविल अस्पताल, मध्यप्रदेश।
समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषयः—आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत भर्ती मरीजों की जांच, उपचार/ईलाज में लगने वाली दवाईयॉ एवं अन्य सामग्री निःशुल्क प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भः—कार्यालयीन पत्र कमांक/सी.ई.बी./2018/85 भोपाल, दिनांक 18.10.2018

—0—

उपरोक्त संदर्भित विषयातर्गत लेख है कि आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र. योजना अंतर्गत आने वाले भर्ती मरीजों की जांच, उपचार/ईलाज निर्धारित पैकेजेस के तहत निशुल्क किया जाना है।

विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित जानकारी, अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकातयों एवं एस.एच.ए. द्वारा कराई गई जॉच से संज्ञान में आया है कि आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्थाओं में आयुष्मान भारत के अंतर्गत भर्ती मरीजों के परिजनों से दवाईयॉ, ऑपरेशन में लगने वाली सामग्री जैसे इम्प्लॉट, consumable एवं उपचार में लगने वाली अन्य सामग्री चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ द्वारा बाजार से खरीदकर बुलाई जा रही है या भर्ती मरीज के परिजन स्वयं अपनी मर्जी से खरीद कर लाते है, जिसके उपरांत उन्ही के द्वारा शिकायत की जाती है।

आयुष्मान भारत "निरामयम" के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी मरीजों की जॉचे जैसे—सी.टी. एम.आर.आई., एक्सरे, ब्लड यूरिन इत्यादि मेडिकल/सर्जीकल प्रोसीजर्स पैकेज के अंतर्गत ही आती है। मेडिकल/सर्जीकल प्रोसीजर्स पेकेज के अंतर्गत यदि कोई जॉचे आउटसोर्स द्वारा की जाती है, तो पैकेज राशि/आर.के.एस. से ही उसका भुगतान किया जाना होगा। यथा सी.टी. स्केन

आपको निर्देशित किया जाता है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भर्ती हितग्राही मरीजों के लिये दवाईयों, इम्प्लान्ट एवं अन्य सामग्री की अनुउपलब्धता की स्थिति में,संस्था की रोगी कल्याण समिति से इन्हें क्रय किया जावे ताकि हितग्राहियों का ईलाज एवं उपचार निःशुल्क किया जा सकें।

उपरोक्तानुसार आपके अधीनस्थ संस्थाओं को शीघ्र दिशा—निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।

(रूही खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक./सी.ई.ओ./ए.बी./2019/ 13 **भोपाल, दिनांक** 10 **/01/2019**

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, सेवायें संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला मलेरिया अधिकारी मध्यप्रदेश।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश